फैक्स/स्पीड पोस्ट

संख्या : 45-दो(2)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(2)/07-टी०सी०

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 12 मार्च, 2008

विषय:- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में डाटा इन्ट्री के कार्य के लिए एन०आई०सी० के माध्यम से तैनात 09 डाटा इन्ट्री आपरेटरों के लिए एन०आई०सी० के बिलों का भुगतान किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-742/VIII/2008/एकाउण्ट सेक्शन, दिनांक 4.3.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय में डाटा इन्ट्री के कार्य के लिए एन०आई०सी० के माध्यम रु० 6313/- प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर 06 माह के लिए तैनात 09 डाटा इन्ट्री आपरेटरों के लिए एन०आई०सी० के रु० 3,40,902/-(तीन लाख चालीस हजार नौ सौ दो रुपये मात्र) के बिलों के भुगतान हेतु मा० उच्च न्यायालय के उपशीर्षक के अधीन मानक मद संख्या-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान नहीं खुलने के कारण एवं वर्तमान में आवश्यक के दृष्टिगत एन०आई०सी० के उक्त बिलों का भुगतान मानक मद संख्या-02-मजदूरी से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1463/XXVII(5)/2008, दिनांक 11.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 45-दो(2)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(2)/07-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।